



भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक
का

31 मार्च 2017 को समाप्त हुए वर्ष का प्रतिवेदन
राजस्व प्रक्षेत्र



बिहार सरकार
वर्ष 2018 का प्रतिवेदन संख्या-2

अध्याय-4
वाहनों पर कर

Page 1 of 1

12/31/20



अध्याय-4: वाहनों पर कर

4.1 कर प्रशासन

परिवहन विभाग राज्य में वाहनों पर कर का आरोपण एवं संग्रहण, मोटर वाहन अधिनियम, 1988, केन्द्रीय मोटर वाहन नियमावली, 1989, बिहार मोटर वाहन कराधान अधिनियम, 1994 और बिहार मोटर वाहन कराधान नियमावली, 1994 के अनुसार करता है। विभाग का नेतृत्व सरकार के स्तर पर परिवहन विभाग के प्रधान सचिव द्वारा और विभागीय स्तर पर राज्य परिवहन आयुक्त द्वारा किया जाता है। मुख्यालय में दो संयुक्त राज्य परिवहन आयुक्तों द्वारा राज्य परिवहन आयुक्त की सहायता की जाती है। राज्य को नौ क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकारों¹ तथा 38 जिला परिवहन कार्यालयों में बाँटा गया है। उन्हें मोटर वाहन निरीक्षकों द्वारा सहायता की जाती है। राज्य में क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकारों का मुख्य कार्य वाहनों को रोड परमिट जारी करना है और मोटर वाहनों का निबंधन, फीस और करों का आरोपण एवं संग्रहण एवं चालक अनुज्ञप्ति निर्गत करने का उत्तरदायित्व, जिला परिवहन पदाधिकारियों को सौंपा गया है।

4.2 लेखापरीक्षा के परिणाम

वर्ष 2016-17 के दौरान, महालेखाकर ने परिवहन विभाग की 49 में से 34² इकाइयों के अभिलेखों का नमूना जाँच किया। 2015-16 के दौरान विभाग द्वारा संग्रहित राजस्व ₹ 1,181.22 करोड़ था, जिसमें लेखापरीक्षित इकाइयों ने ₹ 888.87 करोड़ संग्रह किए थे। लेखापरीक्षा जाँच में करों का आरोपण नहीं/कम किया जाना, परिवहन वाहनों से आरोप्य कर नहीं वसूलना एवं अन्य अनियमितताओं में ₹ 147.10 करोड़ के 362 मामलें उजागर हुए जैसा कि तालिका-4.1 में दर्शाया गया है।

तालिका-4.1

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	वर्णिका	मामलों की संख्या	राशि
1.	मोटर वाहन करों की वसूली नहीं/कम किया जाना	31	7.25
2.	एकमुश्त कर की वसूली नहीं किया जाना	90	10.20
3.	व्यापार प्रमाण पत्र फीस की वसूली नहीं किया जाना	19	1.70
4.	ट्रेक्टर (वाणिज्यिक) के लंबित निबंधन के कारण एकमुश्त कर की वसूली नहीं किया जाना	22	3.15
5.	बैठने की क्षमता के गलत मूल्यांकन के कारण मोटर वाहन करों की कम वसूली किया जाना	14	1.46
6.	एकमुश्त कर का विलम्ब से भुगतान के लिए अर्धदण्ड का आरोपण नहीं किया जाना	31	1.08
7.	व्यक्तिगत वाहनों पर सड़क सुरक्षा उपकरण का आरोपण नहीं किया जाना	23	1.11
8.	अन्य	132	121.15
	कुल	362	147.10

विभाग ने 199 मामलों में ₹ 22.11 करोड़ के कम आरोपण, कम वसूली और अन्य कमियों को स्वीकार किया। इन 199 मामलों में से, ₹ 12.49 करोड़ के 109 मामलें 2016-17 में एवं शेष पूर्ववर्ती वर्षों के दौरान इंगित किये गये थे। पुनः विभाग ने 19 मामलों में ₹ 27.36 लाख की

¹ भागलपुर, दरभंगा, गया, कटिहार, मधुबनी, मुजफ्फरपुर, पटना, पूर्णिया एवं वैशाली।

² राज्य परिवहन आयुक्त, पटना; क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार: दरभंगा, मुजफ्फरपुर, पूर्णिया एवं सहरसा; जिला परिवहन कार्यालय: अररिया, भागलपुर, भोजपुर, बक्सर, दरभंगा, पूर्वी चम्पारण, गया, गोपालगंज, जमुई, कैमूर, कटिहार, खगड़िया, किशनगंज, लखीसराय, मधुबनी, मुंगेर, मुजफ्फरपुर, नालंदा, नवादा, पटना, पूर्णिया, रोहतास, सहरसा, समस्तीपुर, सारण, सीतामढ़ी, सीवान, वैशाली एवं पश्चिमी चम्पारण।

वसूली किया। इनमें से ₹ 3.72 लाख 2016-17 के दौरान इंगित मामलों से संबंधित थे एवं शेष पूर्ववर्ती वर्षों से संबंधित थे। 2016-17 एवं विगत वर्षों के शेष मामलों का जवाब प्रतीक्षित है (जून 2018)।

इस अध्याय में चार कंडिकाओं में सन्निहित ₹ 13.28 करोड़ मूल्य की अनियमितताओं का वर्णन किया गया है। विगत पाँच वर्षों के दौरान ऐसे अनियमितताओं में से अधिकांश को लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में बार-बार प्रतिवेदित किया गया है जैसा कि तालिका-4.2 में वर्णित है।

तालिका-4.2

(₹ करोड़ में)

अवलोकन की प्रकृति	2011-12		2012-13		2013-14		2014-15		2015-16		कुल	
	मामलें	राशि	मामलें	राशि	मामलें	राशि	मामलें	राशि	मामलें	राशि	मामलें	राशि
वाहनों पर कर की वसूली नहीं किया जाना	517	5.67	671	3.48	1,608	5.84	981	3.19	3,662	2.82	7,439	21.00
एकमुश्त कर एवं अर्धदण्ड की वसूली नहीं/कम किया जाना	5,943	1.42	2,112	2.20	2,749	4.78	5,295	8.92	8,001	8.62	24,100	25.94
अस्थायी निबंधन के बिना वाहनों की सुपुर्दगी	-	-	39,476	0.36	8,947	0.08	1,15,574	1.06	36,999	4.40	2,00,996	5.90

अनियमितताओं की पुनरावृत्ति इंगित करता है कि राज्य सरकार/परिवहन विभाग इसी तरह के मुद्दों पर बार बार लेखापरीक्षा अवलोकन के बावजूद सुधारात्मक उपाय नहीं कर रहा है।

4.3 एकमुश्त कर की वसूली नहीं किया जाना

बाईस जिला परिवहन कार्यालयों में 862 मोटर वाहनों के मालिकों ने अर्धदण्ड सहित ₹ 4.44 करोड़ एकमुश्त कर का भुगतान नहीं किया।

बिहार मोटर वाहन कराधान अधिनियम, 1994, वैयक्तिक वाहनों, ट्रैक्टरों, मैक्सी/टैक्सी, तिपहिया एवं हल्के माल वाहनों पर एकमुश्त कर के विभिन्न दरों का प्रावधान करता है। बिहार मोटर वाहन कराधान नियमावली, 1994, पुनः प्रावधित करता है कि नए वाहनों के मामलों में वाहनों के अधिग्रहण की तिथि ही कर भुगतान की देय तिथि होगी, और जहाँ देय तिथि के पहले कर जमा नहीं हुआ, करारोपण पदाधिकारी देय कर की राशि का 25 प्रतिशत से लेकर दुगुना तक अर्धदण्ड अधिरोपित कर सकता है।

लेखापरीक्षा ने 29 जिला परिवहन कार्यालयों के अभिलेखों का जाँच किया एवं 22 जिला परिवहन कार्यालयों³ में पाया कि 64,253 नमूना जाँचित मोटरवाहनों में से 862 मोटर वाहनों के मालिकों को जिन्होंने निबंधन के लिए आवेदन दिया था, वाहन डेटाबेस में जनवरी 2013 एवं जनवरी 2017 के बीच निबंधन संख्या निर्दिष्ट किया गया लेकिन निबंधन प्रमाण-पत्र निर्गत नहीं किया गया क्योंकि वाहन मालिकों ने देय एकमुश्त कर का भुगतान नहीं किया था। लेखापरीक्षा ने पाया कि एक साथ वाहनों के निबंधन एवं कर का भुगतान से संबंधित प्रावधान के अभाव के कारण, एकमुश्त कर के भुगतान को सुनिश्चित किए बिना निबंधन के आवेदन को स्वीकार किया जाता है तथा वाहन में निबंधन संख्या उत्पन्न करने हेतु संसाधित किया जाता है। लेखापरीक्षा ने आगे अवलोकन किया कि यद्यपि एकमुश्त कर के भुगतान नहीं होने की सूचना वाहन डेटाबेस में जिला परिवहन अधिकारियों के पास उपलब्ध था, परन्तु उन्होंने न तो वाहन मालिकों के साथ पत्राचार किया और न ही एकमुश्त कर के वसूली के

³ अररिया, भागलपुर, भोजपुर, पूर्वी चम्पारण, गया, गोपालगंज, जमुई, कैमूर, कटिहार, खगड़िया, लखीसराय, मुंगेर, मुजफ्फरपुर, नालंदा, नवादा, पटना, पूर्णिया, रोहतास, सहरसा, समस्तीपुर, सारण एवं पश्चिमी चम्पारण।

⁴ ट्रैक्टर (वाणिज्यिक) - 503, ट्रैक्टर (कृषि) - 101, तिपहिया - 176, टैक्सी/कैब - 40 एवं हल्के माल वाहन - 42।

लिए अर्थदण्ड के आरोपण एवं नीलामवाद दायर करने के लिए कोई भी कार्रवाई किया। परिणामस्वरूप, आरोप्य अर्थदण्ड सहित ₹ 4.44 करोड़ के एकमुश्त कर की वसूली नहीं की गयी। इसके अलावा, अनिबंधित वाहनों के परिचालन से इस बात का खतरा है कि वाहनों का उपयोग ध्वंसात्मक कार्यों में हो सकता है।

लेखापरीक्षा अवलोकन के प्रतिक्रिया में, विभाग ने अप्रैल 2018 में जवाब दिया कि 38 जिला परिवहन कार्यालयों में से 13 में, वाहन-2 को वाहन-4 में परिवर्तित किया गया था। वाहन-4 के अंतर्गत, ई-नोटिस कर-चूककर्ता को स्वयं सॉफ्टवेयर के द्वारा निर्गत होता है, इसलिए यह कहना सही नहीं है कि जिला परिवहन पदाधिकारियों ने मांग पत्र निर्गत नहीं किया है। वर्तमान में वाहन-4 सॉफ्टवेयर सभी 38 जिला परिवहन कार्यालयों में स्थापित और कार्यान्वित किया जा चुका है।

विभाग का जवाब प्रासंगिक नहीं है क्योंकि जिला परिवहन कार्यालय, लखीसराय को छोड़कर वाहन-4 को अन्य सभी जिला परिवहन कार्यालयों में मार्च 2017 के बाद स्थापित किया गया था और लेखापरीक्षा निष्कर्ष मार्च 2017 तक ही सीमित है। इसके अलावा विभाग का जवाब यह नहीं बताता है कि कर-चूककर्ता का पीछा करने तथा कर बकाया राशि वसूलने में जिला परिवहन पदाधिकारी विफल क्यों रहे।

इसी तरह के अवलोकनों को 2011-12 से 2015-16 के लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में 24,100 वाहन मालिकों से ₹ 25.94 करोड़ के कर और अर्थदण्ड की वसूली नहीं किए जाने को, रेखांकित करते हुए बार-बार इंगित किया गया था। फिर भी समान प्रकृति के चूक/अनियमिततायें अभी भी जारी हैं, जो इंगित कर रहा है कि विभाग ने इसकी पुनरावृत्ति को रोकने के लिए सुधारात्मक उपाय नहीं किए थे जिससे राजस्व का रिसाव हुआ।

अनुशंसा:

विभाग को वाहन मालिकों द्वारा एकमुश्त कर और अर्थदण्ड का भुगतान सुनिश्चित करना चाहिए और सड़क पर चलने वाले चूककर्ता वाहनों को रोकने के लिए प्रवर्तन प्रभाग को उनकी चूककर्ता स्थिति के बारे में सूचित करना चाहिए।

4.4 मोटर वाहन करों की वसूली नहीं की गई।

कर-चूककर्ता वाहनों का पता लगाने के लिए जिला परिवहन पदाधिकारियों द्वारा वाहन डेटाबेस के आवधिक समीक्षा हेतु तंत्र के अभाव के परिणामस्वरूप 25 जिला परिवहन कार्यालयों में ₹ 6.68 करोड़ के मोटर वाहन कर की कम वसूली हुई।

बिहार मोटर वाहन कराधान अधिनियम, 1994, के अनुसार एक निबंधित मोटर वाहन का मालिक कर अधिकारियों, जिसके अधिकार क्षेत्र में वाहन निबंधित है, को मोटर वाहन कर का भुगतान करेगा। निवास/व्यवसाय में बदलाव की स्थिति में मोटर वाहन मालिक नये कर अधिकारी को कर का भुगतान कर सकता है बशर्ते उसके पास पिछले कर अधिकारी द्वारा निर्गत अनापत्ति प्रमाण-पत्र हो। पुनः, कर अधिकारी वाहन मालिकों को कर के भुगतान से मुक्त कर सकता है। बिहार मोटर वाहन कराधान नियमावली, 1994 यह प्रावधान करता है कि जहाँ वाहन का कर यदि 90 दिनों से अधिक समय के लिए अभुक्त रहता है, कर अधिकारी देय करों का दोगुना अर्थदण्ड लगा सकता है।

लेखापरीक्षा ने 2014-15 और 2015-16 की अवधि के लिए 25 जिला परिवहन कार्यालयों के अभिलेखों का जाँच किया और पाया कि नमूना जाँचित 16,376 परिवहन वाहनों में से

⁵ अररिया, भागलपुर, भोजपुर, बक्सर, दरभंगा, पूर्वी चम्पारण, गोपालगंज, जमुई, कटिहार, खगड़िया, किशनगंज, लखीसराय, मुंगेर, मुजफ्फरपुर, नवादा, पटना, पूर्णिया, रोहतास, सहरसा, समस्तीपुर, सारण, सीतामढ़ी, सीवान, वैशाली एवं पश्चिमी चम्पारण।

(एकमुश्त कर को छोड़कर) 1,695 वाहनों (नमूना जाँचित वाहनों का 10 प्रतिशत) के मालिक जनवरी 2012 और जनवरी 2017 के बीच से संबंधित ₹ 6.68 करोड़ कर का भुगतान नहीं किया। इनमें से किसी भी मामलों में, संबंधित जिला परिवहन कार्यालयों के क्षेत्राधिकार में वाहनों का परिचालन नहीं होने का साक्ष्य⁶ अभिलेखों पर नहीं था। हालाँकि, संबंधित जिला परिवहन पदाधिकारी ने वाहन सॉफ्टवेयर से चूककर्ताओं का सूची उत्पन्न नहीं किया, न ही वाहन मालिकों के साथ कोई पत्राचार किया, न ही चूककर्ता के खिलाफ अर्थदण्ड आरोपण तथा बकाये की वसूली के लिए 'नीलामवाद' दायर करने की प्रक्रिया शुरू किया जबकि चूककर्ता द्वारा कर के भुगतान नहीं करने से संबंधित सूचना उनके पास डेटाबेस में उपलब्ध थे। परिणामस्वरूप, ₹ 4.41 करोड़ के अर्थदण्ड सहित ₹ 6.68 करोड़ के कर (सड़क कर: ₹ 2.23 करोड़; ग्रीन कर: ₹ 2.49 लाख और सड़क सुरक्षा उपकर: ₹ 1.16 लाख) की वसूली नहीं की जा सकी।

लेखापरीक्षा अवलोकन की प्रतिक्रिया में, अप्रैल 2018 में विभाग ने जवाब दिया कि 38 जिला परिवहन कार्यालयों में से 13 में, वाहन-2 को वाहन-4 में परिवर्तित कर दिया गया था। वाहन-4 के तहत ई-नोटिस कर चूककर्ता को स्वयं सॉफ्टवेयर के द्वारा जारी किया जाता है, इसलिए यह कहना सही नहीं है कि जिला परिवहन पदाधिकारियों ने मांग-पत्र जारी नहीं किया है। वर्तमान में वाहन-4 सॉफ्टवेयर सभी 38 जिला परिवहन कार्यालयों में स्थापित एवं कार्यान्वित किया जा चुका है।

विभाग का जवाब प्रासंगिक नहीं है क्योंकि जिला परिवहन कार्यालय, लखीसराय को छोड़कर वाहन-4 को अन्य सभी जिला परिवहन कार्यालयों में मार्च 2017 के बाद स्थापित किया गया था और लेखापरीक्षा निष्कर्ष मार्च 2017 तक ही सीमित है। पुनः विभाग का यह दावा कि कर चूककर्ता को ई-नोटिस सॉफ्टवेयर द्वारा स्वयं जारी किए जा रहे थे, भी सही नहीं पाया गया, क्योंकि वाहन-4 द्वारा उत्पन्न मांग पत्र जिला परिवहन कार्यालय पटना में मैनुअल रूप से भेजा जा रहा था। इसके अलावा विभाग का जवाब यह नहीं बताता है कि कर चूककर्ता को पीछा करने और कर बकाया राशि वसूलने के लिए जिला परिवहन पदाधिकारी आगे की कार्रवाई में क्यों विफल रहे।

इसी तरह के अवलोकनों को 2011-12 से 2015-16 के लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में 7,439 वाहन के मालिकों से ₹ 21.00 करोड़ के कर और अर्थदण्ड की वसूली नहीं किए जाने को रेखांकित करते हुए बार-बार इंगित किया गया था। फिर भी समान प्रकृति के चूक/अनियमिततायें अभी भी जारी हैं, जो इंगित कर रहा है कि विभाग ने राजस्व के रिसाव की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए सुधारात्मक उपाय नहीं किए थे।

अनुशंसा:

विभाग को शीघ्र कर का भुगतान सुनिश्चित करने हेतु वाहन डेटाबेस से निकाले गए कर-चूककर्ताओं को तात्क्षणिक आधार पर माँग पत्र निर्गत किया जाना सुनिश्चित करना चाहिए।

4.5 सड़क सुरक्षा उपकर का अंतर कर का वसूली नहीं किया जाना

चौदह जिला परिवहन कार्यालयों में निबंधन प्राधिकारियों ने ₹ 1.11 करोड़ के सड़क सुरक्षा उपकर एवं अंतर कर का आरोपण सुनिश्चित नहीं किया।

बिहार मोटर वाहन कराधान अधिनियम, 1994 के अनुसार परिवहन विभाग ने 19 सितम्बर 2014 से व्यवसायिक ट्रैक्टरों पर एकमुश्त कर के दर को दो प्रतिशत से 4.5 प्रतिशत संशोधित

⁶ जैसा कि उक्त अधिनियम के धारा 17 के साथ पठित धारा 9 में विहित था मालिकों के पते में बदलाव या कर भुगतान से छुट प्राप्त करने के लिए दस्तावेजों का समर्पण करना।

⁷ नीलामवाद मामले दायर करना: जब नीलामवाद अधिकारी संतुष्ट होता है कि समाहर्ता को कोई भी सार्वजनिक मांग देय है, वह निर्धारित फार्म में प्रमाण-पत्र पर हस्ताक्षर कर सकता है, यह बताते हुए कि माँग देय है और उसके कार्यालय में नीलामवाद दायर किया जाएगा।

किया। उक्त अधिनियम पुनः प्रावधित करता है कि 16 अगस्त 2016 से निर्धारित दर⁹ पर प्रत्येक चालक अनुज्ञप्ति धारकों के साथ ही मोटर वाहन मालिकों से सड़क सुरक्षा उपकर की वसूली होनी है।

लेखापरीक्षा ने 14 जिला परिवहन कार्यालयों⁹ के अभिलेखों का जाँच किया और पाया कि एनआईसी द्वारा वाहन डेटाबेस में 20 दिनों के विलम्ब (5 सितम्बर 2016) से तथा सारथी डेटाबेस में 15 दिनों के विलम्ब (1 सितम्बर 2016) से सड़क सुरक्षा उपकर नियम का परिमाणन करने के कारण, 5,560 व्यक्तिगत वाहनों का निबंधन एवं अगस्त एवं सितम्बर 2016 के बीच 22,245 चालक अनुज्ञप्तियों का निर्गमन बिना सड़क सुरक्षा उपकर का आरोपण किये हुआ हालाँकि विभाग ने एनआईसी को इससे संबंधित आवश्यक संशोधन का निर्देश पहले ही (12 अगस्त 2016) दे दिया था। इसी तरह 19 सितम्बर 2014 के अधिसूचना के अनुसार व्यावसायिक ट्रैक्टरों के कर के दर में हुए परिवर्तन को 27 दिनों के विलम्ब से वाहन डेटाबेस में परिमाणित किया गया। परिणामस्वरूप, लेखापरीक्षा ने सात जिला परिवहन कार्यालयों¹⁰ में पाया कि 19 सितम्बर और 4 अक्टूबर 2014 के बीच निबंधित 181 ट्रैक्टरों के मालिकों से एकमुश्त कर संशोधन से पूर्व के दर पर वसूला गया।

संबंधित जिला परिवहन पदाधिकारियों ने सड़क सुरक्षा उपकर एवं अंतर कर का मैनुअल रूप से गणना कर भुगतान हेतु मांग पत्र निर्गत करना सुनिश्चित नहीं किया जबकि सड़क सुरक्षा उपकर एवं संशोधित दर पर एकमुश्त कर का भुगतान नहीं किये जाने की सूचना उनके पास वाहन डेटाबेस में उपलब्ध थी। इस प्रकार परिमाणन में विलंब तथा अंतर राशि की वसूली, संबंधित जिला परिवहन पदाधिकारियों द्वारा नहीं करने के कारण ₹ 1.11 करोड़ के राजस्व (सड़क सुरक्षा उपकर: ₹ 0.89 करोड़ एवं अंतर कर: ₹ 0.22 करोड़) की वसूली नहीं हो सकी।

लेखापरीक्षा अवलोकन के प्रतिक्रिया में, विभाग ने जवाब दिया (अप्रैल 2018) कि अधिसूचना के प्रावधान को इसके प्रकाशन के बाद एनआईसी द्वारा परिमाणित किया गया और इस प्रक्रिया में स्वाभाविक रूप से समय लगता है। हालाँकि, विभाग का जवाब, अधिसूचना का अनुपालन करने एवं अंतर कर का मैनुअल रूप से आरोपण करने में, लेखापरीक्षा द्वारा संज्ञान में लाने के बाद भी, जिला परिवहन पदाधिकारियों के निष्क्रियता पर मौन था।

अनुशंसा:

विभाग मोटर वाहन कर के दर में किसी परिवर्तन या नये कदम के शुरुआत का वाहन एवं सारथी डेटाबेस में परिमाणन समय से सुनिश्चित करे।

क्र.सं.	अनुज्ञप्तिधारी/वाहन का वर्ग	उपकर की राशि ₹ में
1.	लर्नर लाईसेंस	50
2.	गियर के साथ या बिना गियर के दो पहिया वाहन हेतु लाईसेंस	100
3.	हल्के मोटर वाहन के लिए लाईसेंस (नन-ट्रांसपोर्ट)	150
4.	हल्के मोटर वाहन के लिए लाईसेंस (ट्रांसपोर्ट)	200
5.	मध्यम और भारी मोटर वाहन के लिए लाईसेंस	500
6.	एकमुश्त कर भुगतान करने वाले वाहन	वाहनों के मूल्य का एक प्रतिशत
7.	एकमुश्त कर के अलावे भुगतान करने वाले वाहन	वार्षिक कर का एक प्रतिशत

⁹ औरंगाबाद, भोजपुर, दरभंगा, पूर्वी चम्पारण, गया, कटिहार, किशनगंज, मधुबनी, मुजफ्फरपुर, पटना, पूर्णिया, रोहतास, समस्तीपुर एवं सारण।

¹⁰ अररिया, पूर्वी चम्पारण, जमुई, कैमूर, खगड़िया, लखीसराय एवं नवादा।

4.6 अस्थायी निबंधन के बिना वाहनों की सुपुर्दगी के कारण राजस्व की हानि

अस्थायी निबंधन के बिना क्रेताओं को वाहनों की सुपुर्दगी के फलस्वरूप ₹ 1.05 करोड़ की हानि हुई।

केन्द्रीय मोटर वाहन नियमावली, 1989 के साथ पठित मोटर वाहन अधिनियम 1988, के अनुसार कोई भी व्यापार प्रमाण पत्र धारक बिना स्थायी या अस्थायी निबंधन के मोटर वाहन, क्रेता को नहीं सौंपेंगे। दो पहिया एवं चार पहिया के अस्थायी निबंधन प्रमाण-पत्र के लिए निर्धारित शुल्क क्रमशः ₹ 90 एवं ₹ 140 था।

लेखापरीक्षा ने नौ जिला परिवहन कार्यालयों¹¹ के अभिलेखों का जाँच किया एवं पाया कि जनवरी 2011 एवं जनवरी 2017 के बीच की अवधि के दौरान व्यापार प्रमाण-पत्र धारक बिना अस्थायी निबंधन चिह्न के 1,16,144 वाहनों (हल्के मोटर वाहन: 1,827 एवं दो पहिया: 1,14,317) को सौंप दिया। जिला परिवहन पदाधिकारियों ने अस्थायी निबंधन सुनिश्चित किये बिना ही इन वाहनों को सौंपे जाने के बाद स्थायी निबंधन कर दिया जो उपरोक्त नियम का उल्लंघन था। इस प्रकार वाहनों को सौंपे जाने एवं निबंधन से संबंधित अनुश्रवण तंत्र का अभाव तथा इन व्यवसायियों के लिए निवारक उपाय विहित नहीं किए जाने के कारण बिना अस्थायी निबंधन के 1,16,144 वाहनों की सुपुर्दगी हुई एवं तदंतर ₹ 1.05 करोड़ के अस्थायी निबंधन फीस की हानि हुई।

लेखापरीक्षा अवलोकन की प्रतिक्रिया में, विभाग ने अप्रैल 2018 में जवाब दिया कि सभी जिला परिवहन पदाधिकारियों को जुलाई 2009 में यह सुनिश्चित करने हेतु निर्देश दिया गया था कि बिना निबंधन के व्यवसायियों द्वारा वाहन सुपुर्दगी नहीं किया जाय और सभी जिला परिवहन पदाधिकारियों द्वारा दिए गए निर्देश का वर्तमान में अनुपालन किया जा रहा है। बिना निबंधन चलने वाली किसी मोटर वाहन के पकड़े जाने के मामलों में अर्थदण्ड आरोपित किया जाता है। वर्तमान में वाहन-4 सॉफ्टवेयर स्थापित किया गया है जो सभी जिला परिवहन कार्यालयों में कार्यान्वित है एवं इसीलिए कोई भी वाहन बिना निबंधन के नहीं चल सकता है।

विभाग का जवाब ₹ 1.05 करोड़ के राजस्व के हानि के मुद्दा पर और दोषी जिला परिवहन पदाधिकारियों के विरुद्ध कार्रवाई पर मौन था।

इसी प्रकार के अवलोकनों को 2011-12 से 2015-16 की अवधि के लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में 2,00,996 वाहन मालिकों से ₹ 5.90 करोड़ के कर एवं अर्थदण्ड की वसूली नहीं किए जाने को रेखांकित करते हुए बार-बार इंगित किया गया था। फिर भी, समान चूक/अनियमितताओं का होना निरंतर जारी है जो इस बात को इंगित करता है कि विभाग ने इनकी पुनरावृत्ति को रोकने के लिए सुधारात्मक उपाय नहीं किया जिससे राजस्व का रिसाव हुआ।

अनुशंसा:

विभाग दोषी व्यवसायियों के विरुद्ध निवारक उपायों का प्रावधान लाने के अलावा इन नियमों के अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए वाहनों के सुपुर्दगी एवं निबंधन से संबंधित एक अनुश्रवण तंत्र विहित कर सकता है।

¹¹ अररिया, भोजपुर, दरभंगा, कटिहार, किशनगंज, पूर्णिया, रोहतास, सहरसा एवं सारण।

© भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक
www.cag.gov.in

प्रतिवेदन डाउनलोड
करने हेतु
क्यू0 आर0
कोड स्कैन करें



www.ag.bih.nic.in